

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 04.07.2017

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर कार्य व्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक लगाया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	डा. महेश कुमार माहीच, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, राजसमन्द	टी. बी. सी., राजसमन्द	रिक्त पद पर
2	डा. रवि उपाध्याय, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, बांसवाडा	टी. बी. सी., बांसवाडा	रिक्त पद पर
3	डा. राजेश सामर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, बांसवाडा	टी. बी. सी., बांसवाडा को स्थानान्तरणाधीन को निरस्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनवास, कोटा में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।	
4	डा. अमित श्रीवास्तव, व. चि. अ.	जिला चिकित्सालय, चित्तौडगढ	टी. बी. सी., चित्तौडगढ	रिक्त पद पर
5	डा. अनिल कुमार मीना, वरिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.)	राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना, सीकर	टी. बी. सी., रनतगढ, चुरू	रिक्त पद पर
6	डा. सुरेश कुमार जागिड, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमू, जयपुर	टी. बी. सी., जयपुर	डा. नरेश कुमार के स्थान पर
7	डा. जगमोहन मीना, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, करौली	टी. बी. सी., करौली	डा. शिशुपाल मीणा के स्थान पर
8	डा. ललित कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, पाली	टी. बी. सी., पाली	डा. ओमप्रकाश के स्थान पर
9	डा. अमित कुमार गोयल, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, सवाई माधोपुर	टी. बी. सी. टोंक	रिक्त पद पर
10	डा. पीयूष सोनी, चिकित्सा अधिकारी	सैटेलाईट होस्पिटल, हिरणमगरी, उदयपुर	टी. बी. सी. उदयपुर	रिक्त पद पर
11	डा. अमित कुमार, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, बीकानेर	टी. बी. सी. बीकानेर	रिक्त पद पर
12	डा. पुरुषोत्तम सोनी, प्रमुख विशेषज्ञ (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर	स्टेट टी. बी. सैल, निदेशालय, मुख्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर
13	डा. जगदीश प्रसाद कुशवाह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबडा, बारां	टी. बी. सी. बारां	रिक्त पद पर

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2017 के द्वारा टी. बी. सी. सेन्टरों पर कार्य व्यवस्था के तहत लगाये गये निम्न चिकित्सकों के आदेशों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	विवरण
1	डा. मीठालाल मीना, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, राजसमन्द से टी. बी. सी., राजसमन्द में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
2	डा. हरिओम मीना, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, बारां से टी. बी. सी., बारां में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।

3	डा. गजेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, भरतपुर से टी. बी. सी., भरतपुर में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
4	डा. गोरुराम भुकल, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगू, चित्तौड़गढ़ से टी. बी. सी., चित्तौड़गढ़ में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
5	डा. नरेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू, जयपुर द्वितीय से टी. बी. सी., जयपुर में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
6	डा. शिशुपाल मीना, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, करौली से टी. बी. सी., करौली में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
7	डा. ओमप्रकाश, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, पाली से टी. बी. सी., पाली में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
8	डा. अक्षय कुमार कावडिया, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ से टी. बी. सी., प्रतापगढ़ में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
9	डा. सुरेश चन्द्र कालानी, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाडनू, नागौर से टी. बी. सी., प्रतापगढ़ में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
10	डा. आशुतोष सोनी, चिकित्सा अधिकारी	एम. बी. चिकित्सालय, उदयपुर से टी. बी. सी., उदयपुर में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
11	डा. कविता खोरवाल, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, दौसा से टी. बी. सी., दौसा में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
12	डा. हंसराज सुमन, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, बारां से टी. बी. सी., बारां में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त किया जाता है।
13	डा. गोरधन सिंह चौधरी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.)	जिला चिकित्सालय, बाडमेर से टी. बी. सी., बाडमेर में कार्य व्यवस्था में किये गये आदेशों को निरस्त करते हुए डा. चौधरी अपने कार्य के साथ-साथ टी. बी. सी., बाडमेर में अतिरिक्त कार्य संपादित करेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- राज्य क्षय रोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 5- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
- 7- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
- 8- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 9- संबंधित अधिकारी
- 10- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 11- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
शासन सहायक सचिव